उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06 वर्ष 1974)

THE UTTAR PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND ACT, 1974
[U. P. Act 6 of 1974]

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974¹ {उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1974}

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनाँक 28 मार्च, 1974 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनाँक 29 मार्च, 1974 ई0 को बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनाँक 16 अप्रैल, 1974 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनाँक 17 अप्रैल, 1974 ई0 को प्रकाशित हुआ।}

उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के कल्याण की प्रोन्नति के निमित्त एक निधि स्थापित करने और उसके प्रवर्तन करने की व्यवस्था के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1—— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 ई0 कहलाएगा।

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
- 2-- जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :--

परिभाषाएं

- {(क) "अधिवक्ता" का तात्पर्य स्टेट बार काउंसिल की नामावली में नाम—निर्देशित एडवोकेट से है और इसमें ऐसे प्लीडर और अन्य विधि व्यवसायी भी, जो विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 के उपबन्धों के अधीन इस रूप में नाम—निदेशित हों, सम्मिलित होंगे;
- (कक) ''बार एसोशियेशन'' का तात्पर्य स्टेट बार काउंसिल से संबद्ध बार एसोसियेशन से हैं;}³
- (ख) "स्टेट बार काउंसिल" का तात्पर्य एडवोकेट्स ऐक्ट, 1961 की धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश की स्टेट बार काउंसिल से है:
 - (ग) "निधि" का तात्पर्य धारा 3 में निर्दिष्ट निधि से है;
 - {(गग) "सदस्य" का तात्पर्य योजना के किसी सदस्य से है;}4
 - (घ) "न्यासी समिति" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित समिति से है;
 - {(ङ) ''कल्याणकारी स्टाम्प'' का तात्पर्य धारा 9 में निर्दिष्ट स्टाम्प से है;}²
- (च) ''वकालतनामा'' के अन्तर्गत उपस्थित होने का ज्ञापन या कोई अन्य दस्तावेज भी है, जिससे किसी अधिवक्ता को किसी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने, कार्य करने या अभिवचन करने की शक्ति प्राप्त हो, किन्तु इसके अन्तर्गत सरकार या सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी अधिकारी की ओर से दाखिल किया गया कोई वकालतनामा या उपस्थिति का ज्ञापन नहीं है। े

^{1.} उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 23 मार्च, 1974, का सरकारी असाधारण गजट, देखिए।

^{2.} उ०प्र० अधिनियम सं० २१ वर्ष १९८८ की धारा २ द्वारा प्रतिस्थापित।

^{3.} उ०प्र०अधिनियम सं० ३ वर्ष १९९९ की धारा २ (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त की धारा 2 (दो) द्वारा बढ़ाया गया।

उपर्युक्त की धारा 2 (तीन) द्वारा प्रतिस्थापित।

निधि का उद्देश्य

- 3— (1) सामान्य लोक उपयोगिता के निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एक ऐसी निधि के सम्बन्ध में, जिसका गठन एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा और जिसे उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि कहा जाएगा, एक पूर्ति न्यास का सृजन किया जाएगा, अर्थात् :—
 - (क) साठ वर्ष की आयु तक के अधिवक्ताओं के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम से सामूहिक बीमा की पॉलिसी लेना;
 - (ख) [बार एसोसियेशन]⁴ के लिए हालों तथा पुस्तकालयों के लिए भवनों की तथा [कैन्टीन शेड एवं अन्य सुविधाओं]³ की व्यवस्था करना अथवा ऐसी व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ [बार एसोसियेशन]⁴ को अभिदान करना;
 - {(खख) अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि योजना, जिसे आगे योजना कहा गया है, को आयोजित करना, जो ऐसे अधिवक्ताओं के लिये होगी, जो योजना के सदस्य बन जाय;}¹
 - (ग) आवश्यकताग्रस्त अधिवक्ताओं के कल्याण के लिये अन्य योजनाओं को आयोजित करना; और
 - (घ) ऐसे अन्य उद्देश्य जिनसे, न्यासी समिति की राय में, अधिवक्ताओं की कार्यदशा तथा सुविधाओं में सुधार हो।
 - (2) निधि में निम्नलिखित धनराशियां होंगी :--
 - (क) धारा 4 के अधीन उसे अन्तरित सभी अभिदान;
 - (ख) स्टेट बार काउंसिल द्वार उसे दिये गये सभी अभिदान;
 - (ग) किसी अधिवक्ता द्वारा निधि में स्वेच्छा से दिया गया दान या अभिदान, जिसके अन्तर्गत सामूहिक जीवन बीमा की पालिसी के अधीन, किसी बीमाकृत अधिवक्ता को मृत्यु पर भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त कोई धनराशि भी है, जहाँ ऐसे अधिवक्ता ने न्यासी समिति को ऐसा व्यक्ति नाम—निर्दिष्ट किया हो जिसे उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में पालिसी द्वारा सुरक्षित धनराशि का भुगतान किया जायगा;
 - (घ) राज्य सरकार द्वारा निधि को दिया गया कोई अनुदान;
 - (ङ) धारा 5 के अधीन उधार ली गयी कोई धनराशि;
 - (च) अधिवक्ताओं के सामूहिक जीवन बीमा की पालिसी के सम्बन्ध में भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त कोई लाभ अथवा लाभांश; और
 - (छ) निधि के किसी भाग के सम्बन्ध में किये गये किसी विनियोजन पर कोई ब्याज या लाभांश अथवा अन्य प्रतिलाभः
 - (ज) राज्य सरकार द्वारा धारा 10 के अनुसार अन्तरित स्टाम्प का विक्रय आगम:
 - (झ) धारा 11 के अनुसार योजना की सदस्यता के लिये प्राप्त समस्त प्रवेश फीस और वार्षिक चन्दा और उस पर ब्याज, यदि कोई हो।}²

^{1.} उ०प्र०अधिनियम सं० २१ वर्ष १९८८ की धारा ३ (क) द्वारा बढ़ाया गया।

^{2.} उपर्युक्त की धारा 3 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।

^{3.} उ०प्रं0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1999 की धारा 3 (क) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त की धारा 3 (क)(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।

- (3) निधि एक ऐसी न्यासी समिति में निहित होगी और उसके द्वारा धृत तथा प्रबन्धित होगी, जिसका नाम उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति हो और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—
 - (क) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, पदेन, जो अध्यक्ष होंगे;
 - (ख) अध्यक्ष, स्टेट बार काउंसिल, पदेन अथवा यदि उक्त पद तत्समय महाधिवक्ता द्वारा धृत हो तो {उसके द्वारा} नाम—निर्दिष्ट एक अधिवक्ता; और
 - {(खख) स्टेट बार काउन्सिल के दो सदस्य, जो उसके द्वारा निर्वाचित हों;}²
 - (ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, न्याय विभाग, पदेन, जो सदस्य—सचिव होगा।
- {(4) उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन नाम—निर्दिष्ट कोई सदस्य तब तक पदधारण करेगा जब तक कि स्टेट बार काउन्सिल के अध्यक्ष का पद महाधिवक्ता द्वारा धृत हो किन्तु वह किसी भी समय अध्यक्ष को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपनी सदस्यता से त्याग—पत्र दे सकता है।}3
- (5) न्यासी समिति उपर्युक्त नाम से शाश्वत उत्तराधिकार वाली एक निगमित निकाय होगी और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे सम्पत्ति अर्जित करने और धारण करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगी तथा उसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- (6) न्यासी समिति के किसी कार्य अथवा कार्यवाही पर केवल इस कारण से कि उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई दोष है, न तो कोई आपत्ति की जाएगी और न उसे अविधिमान्य समझा जाएगा।
- 4— {(1)} इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, स्टेट बार काउंसिल के पास अधिवक्ताओं द्वारा भर्ती के प्रमाण-पत्रों पर दिए गए स्टाम्प शुल्क के मद्धे जमा धनराशि तथा उस पर वास्तविक रूप से अर्जित ब्याज की धनराशि के समकक्ष धनराशि, उसके द्वारा निधि में जमा की जाएगी और निधि में इस प्रकार जमा होने पर स्टेट बार काउंसिल उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रति अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाएगी।

कतिपय धन का निधि में अन्तरण

- {(2) किसी वित्तीय वर्ष में स्टेट बार काउन्सिल के पास भर्ती के प्रमाण-पत्रों के लिये अधिवक्ताओं द्वारा जमा किये गये स्टाम्प शुल्क के समकक्ष धनराशि, राज्य सरकार द्वारा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निधि में अन्तरित की जायगी और ऐसा अन्तरण होने पर राज्य सरकार, उस वित्तीय वर्ष के लिए, उसके सम्बन्ध में अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायगी।}
- 5— (1) न्यासी समिति, इस अधिनियम के प्रयोजार्थ अपेक्षित धनराशियाँ समय–समय पर उधार ले सकती है।

वित्तीय उपबन्ध

(2) निधि का धन किसी अनुसूचित बैंक में जमा किया जा सकता है अथवा न्यासी सिमित द्वारा किसी ऐसे निगम को, जो राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हो, ऋण अथवा अग्रिम धन के रूप में अथवा ऐसी अन्य रीति से, जैसा राज्य सरकार समय—समय पर निदेश दे, विनियोजित किया जा सकता है।

^{1.} उ०प्र०अधिनियम सं० ३ वर्ष १९९९ की धारा ३ (ख) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{2.} उपर्युक्त की धारा 3 (ख)(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{3.} उपर्युक्त की धारा 3 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा पुनर्सख्यांकित तथा बढाया गया।

[उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974]

(धारा 6-9)

- (3) निधि एक स्थानीय निधि समझी जाएगी और उसकी संपरीक्षा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश द्वारा की जाएगी।
- 6— न्यासी समिति द्वारा लिए गए तथा निष्पादित सभी निर्णय तथा संलेख सदस्य—सचिव के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जा सकते हैं, जिन्हें उक्त समिति की ओर से किसी बैंक लेखे का प्रचालन करने की भी शक्ति होगी।

संलेख आदि का निष्पादन तथा अधिप्रमाणीकरण आदि

7— राज्य सरकार न्यासी समिति को, समय—समय पर, ऐसे निदेश दे सकती है, जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या इष्टकर हो और ऐसे निदेशों का पालन करना न्यासी समिति का कर्तव्य होगा।

निदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति

 1 [8-- स्टेट बार काउन्सिल, उत्तर प्रदेश अधिवक्त कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 के प्रारम्भ के दिनांक को निधि में एक लाख रूपये $[***]^{2}$ अभिदान करेगी :

स्टेट बार काउन्सिल द्वारा अभिदान

{परन्तु इस धारा के, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1998 के पूर्व थी, अधीन स्टेट बार काउन्सिल द्वारा दी गयी अभिदान की कोई धनराशि वापिस नहीं की जायगी।}³

9— {(1) प्रत्येक अधिवक्ता अपने द्वारा स्वीकृत वकालतनामा पर किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति को दाखिल किये जाने वाले वकालतनामा की स्थिति में {बीस रूपये} के मूल्य का कल्याणकारी स्टाम्प लगायेगा और कोई न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसे अधिवक्ता के पक्ष में कोई वकालतमाना ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उस पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित किसी स्टाम्प के अतिरिक्त ऐसा स्टाम्प न लगा हो। }

वकालतनामा पर कल्याणकारी स्टाम्प

- (2) कल्याणकारी स्टाम्प का मूल्य किसी वाद या कार्यवाही में खर्च के रूप में विनिर्धारित नहीं किया जायगा और किसी भी दशा में ऐसे वाद या कार्यवाही के पक्षकार से वसूल नहीं किया जायगा।
- (3) किसी सदस्य द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धों का कोई उल्लंघन उसे योजना के लाभ से वंचित कर देगा और उसे अवचार समझा जायगा और न्यासी समिति समुचित कार्यवाही के लिए मामले की सूचना स्टेट बार काउन्सिल को देगी।
- (4) उपधारा (1) के अधीन वकालतनामा पर लगाया गया प्रत्येक कल्याणकारी स्टाम्प न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 30 में उपबन्धित रीति से रदद किया जायगा।
- {(5) जहां किसी मामले में किसी अधिवक्ता द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट कल्याणकारी स्टाम्प वकालतनामा पर नहीं लगाया जाता है या उसे दाखिल नहीं किया जाता है, वहां न्यायालय ऐसे अधिवक्ता को उस मामले में अग्रेत्तर कार्यवाही की अनुज्ञा नहीं देगा।}

^{1.} उ०प्र० अधिनियम सं० 21 वर्ष 1988 की धारा 4 द्वारा धारा 8 से धारा 16 तक बढ़ाया गया।

^{2.} उ०प्र० अधिनियम सं० ३ वर्ष 1999 की धारा 5 (क) द्वारा निकाला गया।

^{3.} उपर्युक्त की धारा 5 (ख) द्वारा परन्तुक बढ़ाया गया।

उपर्युक्त की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 34 वर्ष 2016 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

^{6.} उत्तराखण्ड अधिनियम २००५ धारा २ (ख) द्वारा बढाया गया।

{उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974}

{धारा 10—11**}**

10—— (1) {बार काउन्सिल,}¹ इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कल्याणकारी स्टाम्प ऐसी डिजाइन में और ऐसे अंकित मूल्य का, जैसा वह उचित समझे, जिस पर शब्द ''कल्याणकारी स्टाम्प'' मुद्रित होगा, मुद्रित करायगी।

कल्याणकारी स्टाम्पों का मुद्रण और विक्रय

- (2) राज्य सरकार कल्याणकारी स्टाम्प के वितरण और विक्रय का नियंत्रण न्यायालय फीस स्टाम्प के विक्रय के लिए अपने द्वारा नियुक्त स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से, जो वह उचित समझे, करेगी।
- (3) राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, कल्याणकारी स्टाम्पों के विकय आगम का अन्तरण उसमें से स्टाम्पों के [मुद्रण (जिसे बार काउन्सिल को भुगतान किया जायगा)] विकय और वितरण में उपगत खर्च को काटने के पश्चात् निधि के लेखा में करेगी।
- (4) राज्य सरकार ऐसे अन्तरण के तीन मास के भीतर न्यासी समिति को एक विवरण—पत्र प्रस्तुत करेगी, जिसमें {बार काउन्सिल से प्राप्त और बेचे गये कल्याणकारी स्टाम्पों की संख्या, काटा गया खर्च, बार काउन्सिल को भुगतान किया गया मुद्रण का खर्च} और निधि के लेखा में इस धारा के अन्तर्गत अन्तरित धनराशि का ब्यौरा दिया जायगा।
- {(5) राज्य सरकार मुद्रण प्रभार की वसूली पर कल्याणकारी स्टाम्पों के मुद्रण के लिये राजकीय प्रेस की सेवायें प्रदान कर सकती है।}⁴

{10-क— धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, कल्याणकारी स्टाम्पों की अस्थायी कमी की दशा में कल्याणकारी स्टाम्पों का मूल्य न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति के ऐसे अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक को, जिसे ऐसे न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, नकद भुगतान किया जा सकता है और ऐसा अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक उसके लिए एक रसीद देगा, जिसे वकालतनामा पर चस्पा किया जायगा और ऐसे चस्पा का वही प्रभाव होगा मानों उस धनराशि का कल्याणकारी स्टाम्प इस अधिनियम के अनुसार सम्यक रूप से चस्पा किया गया हो।

कल्याणकारी स्टाम्प की अनुपलब्धता की दशा में उपबन्ध

- (2) उपधारा (1) के अधीन नकद प्राप्त करने वाला अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक उसे कोषागार में ऐसे शीर्षक के, जैसा राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अधीन जमा करेगा। 5
- 11—— (1) कोई अधिवक्ता योजना का सदस्य बनने के लिए सचिव, न्यासी समिति को ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, आवेदन कर सकता है।

योजना की सदस्यता

- (2) प्रत्येक आवेदक, आवेदन—पत्र के साथ एक सौ रूपये की प्रवेश फीस विहित रीति से एकमुश्त देगा।
- (3) न्यासी समिति आवेदन—पत्र और प्रवेश फीस प्राप्त होने पर ऐसी जांच कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे और या तो आवेदक को योजना की सदस्यता में सम्मिलित करेगी या ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, आवेदन—पत्र को अस्वीकार कर देगी और प्रवेश शुल्क के प्रति भुगतान की गयी धनराशि को वापस कर देगी :

परन्तु कोई आवेदन-पत्र तब तक अस्वीकार नहीं किया जायगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।

^{1.} उ०प्र० अधिनियम सं० ३ वर्ष १९९९ की धारा ७ (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त की धारा 7 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{3.} उपर्युक्त की धारा ७ (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

ı. उपर्युक्त की धारा ७ (घ) द्वारा बढ़ाया गया।

उपर्युक्त की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया।

- (4) इस प्रकार सम्मिलित किये गये आवेदक की सदस्यता उस वर्ष की, जब आवेदन—पत्र दिया गया था, पहली जनवरी को या अधिवक्ता के रूप में आवेदन के नामांकन के दिनांक को, जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रारम्भ हुई समझी जायगी।
- (5) योजना का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के लिये उस वर्ष के एकतीस दिसम्बर को या उसके पूर्व —
 - (क) पचास रूपये, जहां उसने अधिवक्ता के रूप में 5 से अनधिक वर्ष के लिये विधि व्यवसाय किया हो;
 - (ख) एक सौ रूपये, जहां उसने अधिवक्ता के रूप में 5 से अधिक किन्तु 10 से अनिधक वर्ष के लिये विधि व्यवसाय किया हो;
 - (ग) दो सौ पचास रूपये, जहां उसने अधिवक्ता के रूप में 10 से अधिक वर्ष के लिये विधि व्यवसाय किया हो:

की दर से वार्षिक चन्दा विहित रीति से देगा:

[परन्तु सरकारी अधिवक्ता निधि में अपने वार्षिक चन्दा के साथ ऐसे प्रत्येक कलैण्डर वर्ष या उसके भाग के लिए, जिसके दौरान वह सरकारी अधिवक्ता रहा हो, पचास रूपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करेगा :

परन्तु यह और कि कोई सदस्य अपने विकल्प पर आजीवन चन्दे के रूप में तीन हजार रूपये और यदि वह सरकारी अधिवक्ता हो तो तीन हजार पांच सौ रूपये का एकमुश्त भुगतान कर सकता है:

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार न्यासी समिति से परामर्श करने के पश्चात् अधिस्चित आदेश द्वारा, वार्षिक और आजीवन चन्दे की दर में परिवर्तन कर सकती है।}¹

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये—

- (एक) अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने के अन्तर्गत विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 के अधीन प्लीडर या अन्य विधि व्यवसायी के रूप में नामांकित या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन गठित किसी विधिज्ञ परिषद् (बार काउन्सिल) की नामावली में दर्ज अधिवक्ता के रूप में विधि—व्यवसाय करना भी है;
- (दो) विधि व्यवसाय की अविध की गणना उस कलैण्डर वर्ष के, जिसके लिये चन्दा देय हो, प्रथम दिवस से या विधि व्यवसायी या अधिवक्ता के रूप में नामांकन के दिनांक से इसमें जो भी पश्चातवर्ती हो, की जायेगी;
- {(तीन) किसी सरकारी अधिवक्ता का तात्पर्य सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निकाय, प्राधिकारी या किसी निगम द्वारा, किसी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या किसी व्यक्ति के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, नियुक्त किए गए ऐसे किसी अधिवक्ता से है जो, यथास्थिति, सरकार या ऐसे निकाय प्राधिकारी या निगम से रिटेनरशिप या मासिक भत्ते के रूप में कोई धनराशि प्राप्त करता हो।}²
- 12-- (1) योजना का कोई सदस्य ऐसा सदस्य नहीं रह जायगा, यदि ---

(क) उसकी मृत्यु हो जाय;

सदस्यता की समाप्ति और पुनः प्रवेश

^{1.} उ०प्र० अधिनियम सं० ३ वर्ष १९९९ की धारा ९ (क) द्वारा बढ़ाया गया।

उपर्युक्त की धारा 9 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।

- (ख) उसका नाम स्टेट बार काउन्सिल द्वारा रखे गये राज्य नामावली से हटा दिया जाय;
 - (ग) वह अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे दें;
- (घ) उसके पास दो वर्ष या इससे अधिक अवधि का वार्षिक चन्दा बकाया हो और न्यासी समिति उसे कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सदस्यता समाप्त कर दे।
- (2) किसी ऐसे अधिवक्ता की, जो योजना का सदस्य नहीं रह गया है, उसके लिखित आवेदन—पत्र और ऐसे वार्षिक चन्दे के जिसका उसने भुगतान किया होता यदि उसकी सदस्यता बनी रहती, बकाये का और उस पर अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने पर, योजना का पुनः सदस्य बनाया जा सकता है, बशर्तें उसका लाभ स्टेट बार काउन्सिल द्वारा रखे गये राज्य नामावली में यथास्थिति, पूर्ववत कर दिया जाय या बना रहे।
- {13— (1) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके नामांकिती या जहां कोई नामांकिती न हो उसके विधिक वारियों को निधि से उसकी सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए पांच हजार रूपये की दर से संगणित धनराशि का, जो पच्चीस हजार रूपये से अन्यून और एक लाख पचास हजार रूपए से अनधिक हो, भुगतान किया जायेगा।

सदस्यता समाप्त होने पर निधि से भुगतान

- (2) किसी सदस्य को, धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ग) या (घ) के अधीन सदस्य न रह जाने पर निधि से निम्नलिखित प्रकार से भुगतान किया जायेगा :--
 - (एक) सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए दो हजार रूपये प्रतिवर्ष की दर से संगणित धनराशि, यदि वह अपनी सदस्यता के सम्पूरित वर्ष के बारह वर्ष के पश्चात और पच्चीस वर्ष के पूर्व त्याग—पत्र देता है;
 - (दो) सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए, अधिकतम एक लाख पचास हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए, पांच हजार रूपये प्रतिवर्ष की दर से संगणित धनराशि, यदि वह अपनी सदस्यता के सम्पूरित पच्चीस वर्ष के पश्चात् त्याग—पत्र देता है:
 - (तीन) उसके द्वारा संदत्त वार्षिक चन्दे के कुल योग के बराबर धनराशि और उस पर ऐसी दर से साधारण ब्याज, जो न्यासी समिति समय—समय पर नियत करे, यदि वह ऐसे अन्य कारण से, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) से आच्छादित न हो, सदस्य न रह जाय।
- (3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए सदस्यता के सम्पूरित वर्ष की संगणना के लिए योजना का सदस्य बनने के पूर्व पांच वर्ष के विधि व्यवसाय, यदि कोई हो, का योजना की सदस्यता, के एक वर्ष के रूप में संगणित किया जायेगा।}

14— तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी योजना के किसी सदस्य या उसके नामांकिती या विधिक वारिसों का धारा 13 के अधीन निधि से कोई धनराशि प्राप्त करने के अधिकार या हित का न तो अन्य संकामण किया जायेगा न भारित किया जायेगा और न न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन उसकी कुर्की की जा सकेगी।

सदस्यों के हित के अन्य संकामण कुर्की इत्यादि पर निबन्धन [14—क— जहां कोई अधिवक्ता, जो इस अधिनियम के, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश अधिवक्त कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व था, अधीन योजना का सदस्य हौ, ऐसे प्रारम्भ के दो मास के भीतर, योजना का सदस्य न बने रहने का विकल्प देता है, वहां उसे ऐसी धनराशि, जिसके लिए वह धारा 13 के, जैसा कि वह ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थी, अधीन हकदार हो, भुगतान की जायेगी और ऐसा अधिवक्ता पुनः योजना की सदस्यता में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो ऐसा अधिवक्ता योजना का सदस्य बना रहेगा।]²

15— इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भाव से की या की जाने के लिए आशित किसी बात के सम्बन्ध में कोई बात अभियोजना या अन्य विधिक कार्यवाही न्यासी समिति या उसके किसी सदस्य या अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

सद्भाव से किये गये कार्यों का संरक्षण

16—— (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

- (2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है ——
 - (क) प्रपत्र, जिसमें और रीति, जिसके अनुसार योजना की सदस्यता के लिए आवेदन–पत्र किया जा सकता है;
 - (ख) योजना की सदस्यता के लिए प्रवेश फीस और वार्षिक चन्दा देने की रीति:
 - (ग) प्रपत्र, जिसमें और रीति, जिसके अनुसार योजना के सदस्यों की सूची रखी जायेगी और उसकी प्रतियां या उद्धरण न्यायालयों को भेजे जायेंगे, जिससे कि वे धारा 9 के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें;
 - (घ) प्रपत्र, जिसमें और रीति, जिसके अनुसार धारा 13 के अधीन भुगतान के लिए आवेदन—पत्र दिये जायेंगे और ऐसे भुगतान के लिए न्यासी समिति द्वारा की जाने वाली जांच, यदि कोई हो, की प्रक्रिया;
 - (ङ) प्रपत्र, जिसमें और रीति जिसके अनुसार धारा 13 के अधीन भुगतान प्राप्त करने के लिए नामांकन किया जाय;
 - (च) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना हो या किया जाय।}¹
- 17— (1) उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

निरसन तथा अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई किया, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई किया समझी जाएगी मानो यह अधिनियम 20 जनवरी, 1974 को प्रवृत्त हो गया था। उ० प्र० अध्यादेश सं० ०४ वर्ष 1974

^{1.} उ०प्र० अधिनियम सं० 21 वर्ष 1988 की धारा 8 द्वारा धारा 8 से धारा 16 तक बढ़ाया गया।

^{2.} उ०प्र० अधिनियम सं० ३ वर्ष १९९९ की धारा ११ द्वारा बढ़ाया गया।

THE UTTAR PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND ACT, 1974¹ [U. P. ACT No. VI OF 1974]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 28, 1974 and, by the Uttar Pradesh Legislative Council on March 29, 1974.

Received the assent of the Governor on April 16, 1974 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary dated April 17, 1974.]

AN

ACT

to provide for the establishment and operation of a fun d for the promotion of welfare of Advocates in Uttar Pradesh.

It is hereby enacted in the Twenty-fifth year of the Republic of India as follows:-

- Short title and extent
- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1974.
 - (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Definitions

- 2. In this Act, unless the context otherwise requires-
 - [(a) "Advocate" means an Advocate enrolled on the roll of the State Bar Council and shall include the pleaders and other legal practitioners enrolled as such under the provisions of the Legal Practitioners Act, 1879;
 - (aa) "Bar Association" means a Bar Association affiliated to the State Bar Council; $]^3$
 - (b) "State Bar Council" means the State Bar Council of Uttar Pradesh constituted under section 3 of the Advocates Act, 1961;
 - (c) "Fund" means the Fund referred to in section 3;
 - [(cc) "member" means a member of the Scheme;]⁴
 - (d) "Trustees Committee" means the Committee constituted under section 3;
 - [(e) "Welfare Stamp" means the stamp referred to in section 9;]²
 - [(f) "Vakalatnama" includes a memorandum of appearance or any other document by which an advocate is empowered to appear, act or plead before any court, tribunal, authority or person but does not include any Vakalatnama or memorandum of appearance filed on behalf of the Government or an officer representing the Government.]⁵

^{1.} For S.O. R. see U. P. Gazette Extraordinary, dated March 23, 1974.

^{2.} Substituted by section 2 of U.P. Act No. 21 of 1988.

^{3.} Substi. by section 2 (i) of U.P. Act No. 3 of 1999.

^{4.} Substi. by section 2 (ii) ibid.

^{5.}Subs. by section 2 (iii) ibid.

Objects of 3. the fund

- (1) For the following objects of general public utility, a charitable trust shall be created in respect of a Fund, to be constituted as hereinafter provided and to be called the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund, namely:---
- (a) obtaining from the Life Insurance Corporation of India a policy of group life insurance of Advocates up to the age of 60 years;
- (b) the provision of buildings for halls and libraries, [canteens, sheds and other facilities]³ for [Bar Associations]⁴, or the making of contributions to [Bar Associations]⁴ for the purposes of making such provision;
- [(bb) the organization of Advocate Social Security Fund Scheme herein after referred to as the Scheme, for such advocates as become members of the scheme;]¹
- (c) the organization of other schemes for the welfare of needy Advocates; and
- (d) such other objects as would, in the opinion of the Trustees Committee, improve the working conditions and facilities of Advocates.
- (2) The Fund shall consist of-
 - (a) all monies transferred to it under section 4;
 - (b) all contributions made to it by the State Bar Council;
 - (c) any voluntary donation or contribution made to the Fund by any Advocate, including any sum received from the Life Insurance Corporation of India on the death of an Advocate insured under the group life insurance policy where such Advocate had nominated the Trustees Committee as the person to whom the money secured by the policy shall be paid in the event of his death;
 - (d) any grants made to the Fund by the State Government;
 - (e) any sum borrowed under section 5;
 - (f) any profits or dividends received from the Life Insurance Corporation of India in respect of the policy of group life insurance of Advocates; and,
 - (g) any interest or dividend or other return or any investment made in respect of any part of the Fund;
 - [(h) the sale proceeds of stamps transferred by the State Government in accordance with section 10;
 - (i) all admission fees and annual subscriptions, for membership of the Scheme received in accordance with section 11 and interest, if any, thereon.]²

^{1.} Added by section 3 (a) of U.P. Act No. 21 of 1988.

^{2.} Added by section 3 (b) ibid.

^{3.} Substituted by section 3 (a)(i) of U.P. Act No. 3 of 1999.

^{4.} Subs. by section 3 (a)(ii) ibid.

- (3) The Fund shall vest in and be held and administered by a Trustees Committee to be named the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Trustees Committee, of which the following shall be the members, namely-
 - (a) the Advocate General of Uttar Pradesh, ex-officio, who shall be Chairman;
 - (b) the Chairman, State Bar Council, ex-officio, or where that office is for the time being held by the Advocate General, an Advocate nominated [by him]¹;
 - [(bb) two members of the State Bar Council, elected by it;]²
 - (c) the Secretary to the State Government in the Judicial Department, exofficio, who shall be Member-Secretary.
- [(4) A member nominated under clause (b) of sub-section (3) shall hold office till the office of the Chairman State Bar Council is held by the Advocate General, but he may at any time by writing under his hand addressed to the Chairman, resign his membership.]³
- (5) The Trustees Committee shall be a body corporate with the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire and hold property, and may sue and be sued by that name.
- (6) No act or proceeding of the Trustees Committee shall be questioned or deemed to be invalid by reason merely of any vacancy in or any defect in the constitution thereof.

Transfer of certain monies to the fund

- 4. [(1)]⁴ As soon as may be after the commencement of this Act, an amount equivalent to the sums received by the State Bar Council on account of the deposits of stamp duty on certificates of enrolment paid by Advocates, together with interest actually earned thereon, shall be paid by it to the credit of the Fund, and such credit to the Fund shall discharge the State Bar Council of the liability in respect thereof to the State Government.
 - [(2) An amount equivalent to the stamp duty deposited by Advocates for certificates of enrolment with the State Bar Council in a financial year shall be transferred by the State Government to the Fund as soon as may be after the end of that financial year and such transfer shall discharge the State Government of its liability in respect thereof, for that financial year.]⁴

Financial provisions

- 5. (1) The Trustees Committee may, from time to time, borrow any sum required for the purposes of this Act.
 - (2) The monies in the Fund may be deposited in any scheduled bank or invested by the Trustees Committee in loans and advances to any Corporation owned or con trolled by the State Government, or in such other manner as the State Government may from time to time direct.
- 1. Substituted by section 3 (b) (i) of U.P. Act No. 3 of 1999.
- 2. Subs. by section 3 (b) (ii) ibid.
- 3. Subs. by section 3 (c) ibid.
- 4. Renumbered and added by section 4 ibid.

- (3) The Fund shall be deemed to be a local fund and be audited by the Examiner, Local Fund Accounts, and Uttar Pradesh.
- Execution and authentication of instruments, etc.
- 6. All decisions and other instruments made and executed by the Trustees Committee may be authenticated by the signature of the Member-Secretary who shall also have the power to operate any bank account on behalf of the said Committee.

Power of the State Government to issue directions 7.

9.

The State Government may from time to time issue to the Trustees Committee, such directions as in its opinion are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act, and it shall be the duty of the Trustees Committee to comply with such directions.

¹[Contribution by State Bar Council 8. The State Bar Council shall contribute to the Fund rupees one lakh on the date of commencement of the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 1988 [***]²:

[Provided that any amount contributed by the State Bar Council under this section as it stood prior to the commencement of the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 1998 shall not be refundable.]³

Welfare stamp on Vakalatnama

- [(1) Every Advocate shall affix on the Vakalatnama accepted by him a Welfare Stamp of the value of [twenty rupees]⁵ and no court, tribunal, authority or person shall receive any Vakalatnama in favour of such advocate unless it is so stamped in addition to any stamp required under any other law for the time being in force.]⁴
- (2) The value of the Welfare Stamp shall neither be taxable cost in the suit or proceeding nor be collected in any even from a party to such suit or proceeding.
- (3) Any contravention of the provisions of sub-section (2) by any member shall disentitle him to the benefits of the Scheme and shall be deemed to be misconduct and the Trustees Committee shall report the matter to the State Bar Council for appropriate action.
- (4) Every Welfare Stamp affixed on a Vakalatnama under sub-section (1) shall be cancelled in the manner provided in section 30 of the Court Fees Act, 1870.]¹
- [(5) Where in any case the welfare stamp referred to in sub-section (1) is not affixed on the Vakalatnama or is not filed by any advocate, the court shall not permit such advocate for further proceeding in that case.]⁶

^{1.} Section 8 to section 16 added by section 4 of U.P. Act No. 21 of 1988.

^{2.} Omitted by section 5 (a) of U.P. Act No. 3 of 1999.

^{3.} Added proviso by section 5 (b) ibid.

^{4.} Subs. by section 6 ibid.

^{5.} Subs. by section 2 of U.K. Act No. 34 of 2016.

^{6.} Added by section 2 (b) UK Act no 2005.

10.

Printing and sale of welfare stamps

- (1) The [Bar Council]¹ shall cause to be printed Welfare Stamps for the purposes of this Act, in such design and such denomination as it thinks fit with the words "Welfare Stamp" printed thereon.
- (2) The State Government shall control the distribution and sale of Welfare Stamps through stamp vendors appointed by it for the sale of court fee stamps or through such other agency as it may deem fit.
- (3) The State Government shall, at the close of every financial year transfer the sale proceeds of the Welfare Stamps after deducting the costs incurred in [printing (shall be paid to the Bar Council)]², sale and distribution of the stamps to the account of the Fund.
- (4) The State Government shall furnish to the Trustees Committee a Statement containing the number of welfare stamps [received from the Bar Council and sold, the details of costs deducted, the cost of printing paid to the Bar Council]³ and the amount transferred under this section to the account of the Fund, within three months of such transfer.]²
- [(5) The State Government may provide the services of Government Press for printing of welfare stamps on realizing the printing charges.]⁴

[Provisions in 10-A case of non-availability of Welfare Stamps

- (1) Notwithstanding anything contained in section 10, in case of temporary shortage of Welfare Stamps, the value of Welfare Stamps may be paid in cash to such subordinate officer or clerk of the court, tribunal, authority or person as may be specified by such court, tribunal authority or person and such subordinate officer or clerk shall give a receipt for the same which shall be affixed on the Vakalatnama, and such affixation shall have the same effect as if the Welfare Stamp of that amount has been duly affixed in accordance with this Act.
- (2) The subordinate officer or the clerk receiving the cash under subsection (1) shall deposit it in the Treasury under such Head as the State Government may by notified order specify in this behalf.]⁵

Membership of 11. the scheme

- (1) Any advocate may apply to the Secretary, Trustees Committee in such form as may be prescribed, .for admission as a member of the Scheme.
- (2) Every applicant shall pay in the prescribed manner an admission fee of one hundred rupees in lump Sum with the application.
- (3) The Trustees Committee may, on receipt of the application and the admission fee, make such inquiry as it deems fit and Shall either admit the applicant to the membership of the Scheme, or for reasons to be recorded in writing, reject the application and refund the amount paid towards admission fee:

Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard.

- 1. Substituted by section 7 (a) of U.P. Act No. 3 of 1999.
- 2. Subs. by section 7 (b) ibid.
- 3. Subs. by section 7 (c) ibid.
- 4. Added by section 7 (d) ibid.
- 5. Added by section 8 ibid.

- (4) The membership of an applicant so admitted shall be deemed to have commenced on the first day of January of the year in which the application was made or the date of enrolment of the applicant as an Advocate, whichever is later.
- (5) Every member of the Scheme Shall pay in the prescribed manner an annual subscription for every calendar year on or before the thirty-first day of December of that year at the rate of--
 - (a) fifty rupees, where he has practiced as an advocate for not more than 5 years ;-
 - (b) one hundred rupees, where he has practiced as an advocate for more than 5 years but not more than 10 years;
 - (c) two hundred and fifty rupees, where he has practiced as an advocate for more than 10 years :

[Provided that the Government Advocates shall pay an additional amount of rupees fifty per annum with their annual subscription for every calendar year or part thereof during their tenure a Government Advocate:

Provided further that a member at his option may make one time payment of life subscription of rupees three thousand and in the case of his being Government Advocate rupees three thousand five hundred:

Provided also that the State Government may, after consultation with the Trustees Committee, by a notified order, vary the rates of annual and life subscription.]¹

Explanation-For the purposes of this sub-section,-

- (i) practice as an advocate includes practice as a pleader or other legal practitioner enrolled under the Legal Practitioners Act, 1879 or as an Advocate oil the roll of any Bar Council constituted under the Advocates Act, 1961;
- (ii) the period of practice shall be reckoned as on the first day of the calendar year for which the subscription is payable or the date of enrolment as a legal practitioner or an Advocate, whichever is later;
- [(iii) "Government Advocate" means an Advocate engaged by the Government or a body, authority or corporation owned or controlled by the Government to represent it before a court, tribunal, authority or a person who received any amount by way of retainer ship or monthly allowance from the Government or such body, authority or corporation, as the case may be.]²

Cessation of 1 membership and readmission

(1) A member of the Scheme shall cease to be such member, if -- (a) he dies,

^{1.} Added by section 9 (a) of U.P. Act No. 3 of 1999.

^{2.} Added by section 9 (b) ibid

- (b) his name is removed from the State Roll maintained by the State Bar Council;
 - (c) he resigns the membership;
- (d) he is in arrears of annual subscription for a period of two years or more and the Trustees Committee after giving him an opportunity to show cause, terminates his membership.
- (2) An advocate, who has ceased to be a member of the Scheme, may, on his written application and on payment of the arrears of annual subscription which he would have paid, if his membership had continued, together with interest thereon at the rate of eighteen per cent um per annum, be readmitted to the membership of the Scheme provided his name is restored or, as the case maybe, continues on the State Roll maintained by the State Bar Council.

[Payment from the Fund on cessation of membership

- 13. (1) In the event of a death of member, his nominee or where there is no nominee, his legal heirs shall be paid from the Fund an amount calculated at the rate of rupees five thousand per annum for every completed year of his membership which shall not be less than rupees twenty five thousand and more than rupees one lakh fifty thousand.
 - (2) A member shall on ceasing to be such member under clause (b]), (c) or (d) of sub-section (1) of section 12, shall be paid from the Fund :--
 - (i) if he resigns after twelve years and before twenty five completed years of his membership, an amount calculated at the rate of two thousand rupees per annum for every completed year of membership;
 - (ii) if he resigns after twenty five completed years of his membership, an amount calculated at the rate of five thousand rupees per annum for every completed year of membership subject to a maximum of rupees one lakh fifty thousand;
 - (iii) if he ceases to be such member due to any other cause not covered by sub-section (1) or sub-section (2), an amount equal to the aggregate of his subscription paid by him and simple interest thereon at such rate as the Trustees Committee may, from time to time.
 - (3) For a calculating the completed years of membership for the purposes of this section, every five years of practice at bar, if any, before admission of a member to the scheme shall be completed as one year of membership of the Scheme.]¹

Restriction on alienation attachment etc. of interest of members 14

Notwithstanding anything contained in any other law for the time, being in force, the right or interest of any member of the Scheme or his nominee or legal heirs to receive any amount from the Fund under section 13 shall not be alienated or charged and shall not be liable to attachment under any decree or order of any court.

[Special provisions for the member of the Scheme

14-A

15.

16.

Where an Advocate who is a member of the Scheme under this Act as it stood immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 1998, within two months of such commencement, opts not to continue as a member of the Scheme he shall be paid an amount to which he is entitled under section 13 as it stood before such commencement and such Advocate shall not be admitted again to the membership of the Scheme. If no such option is given such Advocate shall continue as a member of the Scheme.]²

Protection of action taken in good faith

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Trustees Committee, or any member or officer thereof in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made 1 hereunder.

Power to make rules

- (1) The State Government may, by notification; make rules for carrying out the purposes of this Act. .
- (2) Without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for all or any of the following matters, namely:--
 - (a) the form and the manner in which application for membership oft he Scheme may be mace;
 - (b) the manner of payment of admission fee and annual subscription for the member ship of the Scheme;
 - (c) the form and the manner in which the list of members of the Scheme shall be maintained and its copies or extracts shall be communicated to courts to enable them to ensure compliance of the provision of section 9;
 - (d) the form and the manner in which application for payment under section 13 shall be made and the procedure of inquiry, if any, to be made by the Trustees Committee for such payment;
 - (e) the form and the manner in which nomination to receive payment under section 13 may be made;
 - (f) any other matter which has to be or may be prescribed.]1

Repeal and saving U.P. Ordinance no. 4 of 1974 17.

- (1) The Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Ordinance, 1974, is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act Lad come into force on January 20, 1974.
- 1. Section 8 to section 16 added by section 4 of U.P. Act No. 21 of 1988.
- 2. Added by section 11 of U.P. Act No. 3 of 1999.